

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
13 $\frac{2}{17}$	<p>पन्नावली पेवा हुई। अभिभाषण अपी० 34 खिन्ना / रेसपो० की तामील हेतु बड़ी अकसर दिये जाने के बाद भी अग्रि. अपी. द्वारा सम्मन भएवा पेवा नहीं दिये जाये हैं। अतः अपील अपीलान्त अदम तक गलि में रवा रिज की जाती है। पन्नावली पैसल शुमार लेना सम्बन्ध से काम की जावे।</p> <p style="text-align: right;">(1)</p> <p style="text-align: right;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>